मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 1–2/2002/42/1 भोपाल, दिनांक 9 जून 2004

प्रति,

संचालक,
तकनीकी शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल.

विषयः– प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शासकीय एवं स्वशासी पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था बावत् ।

–000–

प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शासकीय एवं स्वशासी पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था बावत् विभाग के ज्ञाप क्रमॉक एफ 1–2/2002/42–1, दिनॉक 05.02.2002 द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। संस्था प्रमुखों ने गेस्ट फेकल्टी की नियुक्ति के संबंध में आ रही कठिनाइयों से शासन को समय–समय से अवगत कराया है। इसे ध्यान में रखते हुए शासन के ज्ञाप क्रमॉक एफ 1–2/2002/42–1, दिनॉक 05.02.2002 द्वारा जारी आदेश निरस्त करते हुये गेस्ट फेकल्टी की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी करता है :–

(1) प्रत्येक संस्था के प्राचार्य अपनी संस्था के नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विभिन्न विषयों में गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन करेंगे ।

(2) गैस्ट फैकल्टी के रूप में उन्हीं उम्मीदवारों को अध्यापन के लिए आमंत्रित किया जावेगा जो संबंधित विषयों में ए आई सी टी ई द्वारा निर्धारित अर्हताएँ पूरी करते हैं।

(3) गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करते समय प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उस वर्ष के लिये जो गैस्ट फैकल्टी नियुक्त की जायेगी उसमें न्यूनतम 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 14 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार आवश्यक रूप.से गैस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए जाएँ । क्रमशः.2.....

(4) शैक्षणिक सत्र 2004–05 के गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक संस्था प्रमुख 01 दिसम्बर, 2003 की तिथि में सभी प्रकार के रिक्त प्राध्यापक विभागाध्यक्ष, रीडर, व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक, सिस्टम एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर की विभागवार रिक्त पदों को जोड़कर आरक्षण नियमों के अनुसार इन रिक्त पदों की संख्या को बाँटेंगे । प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व अधिकतम 3 के मान से गैस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करेंगे । पैनल बनाते समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन विषयों में गैस्ट फेकल्टी अधिक लिए जाएँ जिनमें वे सहजता से मिलते हैं । ऐसा करने के बाद ही अनारक्षित वर्ग से उन विषयों के लिए पैनल बनाएँ जहाँ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सहजता से नहीं मिलते हैं । संस्थावार निर्धारित गैस्ट फेकल्टी के पैनल में संख्या का प्रतिशत आरक्षण नियमों के अनुसार ही होना चाहिए ।

(5) पैनल बनाने के बाद वास्तविक कार्य सौंपते समय भी कुल प्रतिशत निर्धारण कोटे के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी त्रैमासिक अवधि में आमंत्रित गैस्ट फेकल्टी का अनुपात आरक्षण नियमों के अंतर्गत होना चाहिए । त्रैमासिक आकड़ों में 10 प्रतिशत अधिकतम तक अंतर हो सकता हैं, परन्तु अगले त्रैमास में उसे पूरा करने का प्रयास परिलक्षित होना चाहिए ।

(6) एक रिक्त पद के विरूद्व एक से अधिक गैस्ट फेकल्टी की नियुक्ति की जा सकती है, बशर्ते उसे दिए जाने वाला मानदेय व्याख्याता पद के मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते से अधिक नहीं हो । प्रत्येक पद के विरूद्व गैस्ट फेकल्टी को रूपये 80रु/– प्रति पीरियड की दर से मानदेय देय होगा ।

(7) संस्था प्रमुख प्रत्येक गैस्ट फेकल्टी के कार्य का मूल्यांकन करेंगे, जिसके लिए सभी छात्रों से फीड बैक लिया जावेगा। गैस्ट फेकल्टी का कार्य संतोष जनक होने पर ही उन्हें आगामी पैनलों में रखा जाए ।

क्रमश....3.....

(8) गैस्ट फेकल्टी के नियुक्ति संबंधी शासन के उक्त निर्देशों से प्रदेश के सभी स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं स्वशासी तथा शासकीय पोलीटेकनिकों के प्राचार्यों को अवगत कराया जाय ।

(9) उक्त दिशा निर्देश सत्र 2004—05 से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार
9/6/04
(एस.बी.एस. भदौरिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.

9/6

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल — 462 004

पृ.क्रमांक/2/सत्त/ए/04/896 भोपाल, दिनांक जून 2004

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः—

1. प्राचार्य, समस्त स्वशासी/शासकीय इंजी. महाविद्यालय/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, म0प्र0 ।
2. अतिरिक्त संचालक राज्य स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई, श्यामला हिल्स, (S.P.F.U) भोपाल ।
3. कुल सचिव, राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बायपास रोड़ गॉधी नगर, भोपाल ।
4. अपर सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
5. अतिरिक्त संचालक/उपविभाग — 5 तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक/शाखा — 1 तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल ।

(शमीम उद्दीन)
संयुक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश.

O/C